time, requested to take action against fake universities functioning in violation of the UGC Act, 1956.

फल एवं सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिया जाना

*179. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फल एवं सब्जी उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को उचित दरों पर फल एवं सब्जी उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना को राज्यों में किस प्रकार लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए यथाशीघ्र ऐसी कोई योजना बनाने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) सरकार सदैव यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि फल और सब्जी उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए उचित मूल्य मिले और वे उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध हों ।

(ख) और (ग) सरकार किसानों को अपना उत्पादन मजबूरी में बेचने की स्थिति से बचाने के लिए संबंधित राज्यों के विशेष अनुरोध पर सरकारी एजेंसियों द्वारा इन जिंसों की खरीद के लिए उचित मूल्य नियत करती है। मंडी में हस्तक्षेप करने तथा खरीद के कारण यदि कोई हानि होती है तो केन्द्रीय और राज्य सरकार उसे बराबर बराबर वहन करती है । साथ ही यह मंडी मूल्यों में कमी आने के रुख को काबू में रखने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है । बाद में ये जिंसें नैफेड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आदि जैसी एजेंसियों के खुदरा केन्द्रों के माध्यम से उचित दरों पर उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं ।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा सम्बंधी कृतिक बल की रिपोर्ट

*180. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी कृतिक बल की रिपोर्ट सरकार को 23 जुलाई, 1992 को प्राप्त हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) अल्पसंख्यकों का शिक्षा संबंधी कार्यबल, जो कार्रवाई योजना (का०यो०) को संशोधित करने के लिए गठित 22 कार्यबलों में से एक है, ने 23 जुलाई, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

(ख) यह रिपोर्ट कार्रवाई योजना (का०यो०), 1992 में उपयुक्त रूप से शामिल कर दी गई थी और इसे 19 अगस्त, 1992 को संसद के पटल पर रख दिया गया था ।

कार्रवाई योजना, 1992 में निर्धारित किए गए कार्यक्रमों के अनुसार, मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की वित्तीय सहायता की योजना और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों के क्षेत्र गहन-कार्यक्रम की योजना नामक दो नई केन्द्रीय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते कोचिंग कक्षाओं की योजना पुनः प्रारम्भ कर दी है । सरकार ने भी उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी एक समिति गठित की है ।